अतिआवश्यक / By Email

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

एफ–27(67)ग्राविवि / ग्रुप–5 / सीएमबीपीएल / पार्ट–1 / 2012–13 जयपुर,दिनांकः 6 अप्रेल,2015

समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद् (ग्राविप्र),
राजस्थान

विषय : आवास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2011–12 से वर्ष 2013–14 तक स्वीकृत आवासों की समीक्षा के कम में ।

प्रसंगः विभागीय पत्र 27(67)ग्राविवि / ग्रुप–5 / सीएमबीपीएल / 2012–13दि. 26.03.2015

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभाग के सम संख्यक अ.शा. पत्र दिनांक 03.03.15 के द्वारा वर्षवार स्वीकृत आवासों को पूण कराने व द्वितीय किश्त हस्तानान्तरित किये जाने हेतु निम्नानुसार लक्ष्य निर्धारित किये गये थे –

वर्ष 2011–12 एवं वर्ष 2012–13 – 31.03.15
वर्ष 2013–14 (द्वितीय किश्त हस्तानान्तरण) –31.03.15

योजनाओं की समीक्षा करने से ज्ञात हुआ है कि आप द्वारा समुचित ध्यान नहीं दिए जाने के कारण निर्धारित लक्ष्य अनुसार प्रगति अर्जित नहीं की गई है जो खेदजनक है । **कृपया प्रासंगिक पत्रानुसार योजना के कियान्वयन में लापरवाही बरतने वाले अधिकारी / कार्मिकों की जिम्मेदारी तय कर वार्षिक मूल्याकंन प्रतिवेदन में टिप्पणी आवश्यक रूप से दर्ज की जावें ।**

योजना की निम्नानुसार समीक्षा दिनांक 15.04.15 तक किया जाना सुनिश्चित करावें–
1. प्रत्येक ग्राम पंचायत के सचिव से उक्त वर्षों के स्वीकृत, कार्यरत / अपूर्ण / बन्द पडे आवासों के सम्बन्ध में निम्न प्रारूप में सूचना प्राप्त की जावें ।

क. सं.	योजना का नाम	स्वीकृति वर्ष	लाभार्थी का नाम	आवास पंजीकरण कमांक	आवास की वर्तमान स्थिति	लाभार्थी के आवास अधिकार कार्ड के अनुसार प्राप्त किश्त (दिनांक सहित)	आवास पूर्ण नहीं होने के कारण (ग्राम सचिव के अनुसार)	ग्राम सचिव के अनसार दोषी व्यक्ति का नाम– लाभार्थी / सचिव / पंचायत समिति / जिला परिषद्	विशेष कथन यदि कोई हो (स्वयं के अतिरिक्त यदि कोई दूसरा दोषी हो तो नाम व पदनाम)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Letter 1

2. ग्राम पंचायत द्वारा उक्त सूची में लाभार्थी के कारण बन्द आवासों का भौतिक सत्यापन/समीक्षा व समाधान हेतु ग्राम पंचायत के प्रभारी कनिष्ठ अभियन्ता/कनिष्ठ तकनीकी सहायक से आवासवार रिपोर्ट प्राप्त कर नियमानुसार वसूली की कार्यवाही प्रारम्भ की जावें । विकास अधिकारी द्वारा दोषी ग्राम सचिव/पंचायत समिति कार्मिक अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही की जावें । तद्उपरान्त निम्न प्रारूप में जिला परिषद् को सूचना प्रेषित की जावें ।

क्र. सं.	योजना का नाम	स्वीकृति वर्ष	लाभार्थी का नाम	आवास पंजीकरण कमांक	आवास की वर्तमान स्थिति	लाभार्थी के आवास अधिकार कार्ड के अनुसार प्राप्त किश्त कमांक (I/II/III)	आवास पूर्ण नहीं होने के लिए जिम्मेदार कार्मिक का नाम व की गयी कार्यवाही	आवास पूर्ण नहीं होने के लिए जिम्मेदार लाभार्थी के विरूद्ध की गयी कार्यवाही	विकास अधिकारी द्वारा विशेष कथन (जिला परिषद स्तर पर लम्बित रहने हेतु जिम्मेदार का विवरण)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

3. पंचायत समिति से उपरोक्तानुसार प्राप्त सूचनाओं का विशलेषण कर जिम्मेदार पंचायत समिति स्तरीय अधिकारी का निर्धारण कर आवश्यक अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावें एवं पंचायत समितिवार आवास समीक्षा निम्न प्रारूप में शासन को प्रेषित की जावें ।

क्र. सं.	पंचायत समिति का नाम	योजना का नाम	स्वीकृति वर्ष	स्वीकृत आवासो की संख्या	पूर्ण आवासो की संख्या	प्रगतिरत आवास	बन्द आवास	दोषीयों की संख्या जिनके विरूद्ध कार्यवाही की गई			
								लाभार्थी	ग्राम सचिव	पंचायत समिति स्तरीय अधिकारी/कार्मिक	जिला परिषद् स्तरीय अधिकारी/कार्मिक
						(NOS)	(NOS)				
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

4. बिन्दु सं. 3 में वर्णित सूचना मय शासन से चाहें जा रहे सहयोग का पत्र दिनांक 15.04.15 तक आवश्यक रूप से भिजवाया जाना सुनिश्चित करें । बिन्दु सं. 3 में वर्णित कॉलम सं. 6 के प्रगतिरत आवासों को 30.06.15 तक पूर्ण कराने की जिम्मेदारी आपकी होगी एवं कॉलम सं. 7 में वर्णित आवासों को पूर्ण कराने अथवा दुरूपयोग की राशि वसूल कर राजकोष में जमा कराने हेतु विकास अधिकारी जिम्मेदार होगें ।

यहां उल्लेखनीय है कि वर्तमान में प्रगतिरत आवास जो कि यदि पूर्व के वर्षो के स्वीकृत हो तब भी आवास के निर्माण स्तर के अनुसार महात्मा गांधी नरेगा से स्तर के आधाार पर अनुमत मानव दिवसों का लाभ दिलाकर आवासों को शीघ्र पूर्ण कराने में सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। नरेगा से अनुमत मानव दिवसों का लाभ दिलाकर आवासों को शीघ्र पूर्ण कराने में सहयोग प्राप्त किया जा सकता है।

1/4/15

(राजीव सिंह ठाकुर)
शासन सचिव

Letter 2